भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 36
दिनांक 04 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरूद्ध अपराध में वृद्धि

***36 श्री संजय सिंह:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की 'भारत में अपराध, 2019' संबंधी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर प्रति लाख महिलाओं में वर्ष 2018 के 58.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019 में 62.4 प्रतिशत दर्ज की गई है;
(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं; और
(ग) महिलाओं के विरूद्ध बलात्कार और हिंसा के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

'महिलाओं के विरूद्ध अपराध में वृद्धि' के संबंध में श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2021 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) : जी हाँ।

(ग) : भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' एवं 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं सहित नागरिकों के जान और माल की सुरक्षा की उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें कानून के वर्तमान प्रावधान के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। तथापि महिलाओं के विरुद्ध यौन हमला एवं हिंसा के मामलों की रोकथाम एवं शीघ्रता से जांच के लिए सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं। इनमें आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006, दहेज निषेध अधिनियम 1961 आदि जैसे कानून शामिल हैं। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018, 12 साल से कम आयु की लड़की से बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और कठोर दंड का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ 2 माह के अंदर जांच और 2 माह के अंदर सुनवाई पूरी करने का भी अधिदेश देता है।

महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं में शामिल हैं – वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का कार्यान्वयन, महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमिकत्व, आपातकालीन प्रत्युत्तर सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जो पुलिस, एंबुलेंस एवं आग जैसे आपातकाल के लिए अखिल भारतीय आधार पर सिंगल नंबर (112)/मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है, अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, 8 शहरों में सुरक्षित शहर परियोजनाएं, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यौन हमला साक्ष्य संग्रहण (एसएईसी) किटों का वितरण, सीएफएसएल चंडीगढ़ में अत्यधिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता, देश के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापाररोधी यूनिटों (एएचटीयू) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, पुलिस स्टेशन में महिला हेल्पडेस्क (डबल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण आदि। सरकार बलात्कार के मामलों तथा पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों का शीघ्रता से निस्तारण करने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रही है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश में यौन अपराधियों की ट्रैकिंग एवं जांच में सहायता के लिए 20.09.2018 को 'यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटा बेस' (एनडीएसओ) शुरू किया है। गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसार यौन हमले के मामलों में समयबद्ध जांच एवं निगरानी में सुविधा प्रदान करने के लिए 19.02.2019 को 'यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली' नामक एक ऑनलाइन विश्लेषण उपकरण भी शुरू किया है।

****